15

उ०प्र०आवास एवं विकास परिषद, 104-महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ पर दिनांक 11-7-88 को हुई उ०प्र०आवास एवं विकास परिषद की वर्ष-1988 की तृतीय बैठक का कार्यवृत्त

बैठक में निम्नलिखित उपस्थित थे:-

1-	श्री ज्ञान गुफरान जाहिदी		अध्यक्ष
2-	श्री परमात्मा प्रसाद सिंह		सदस्य
3-	श्री योगेश बंसल		सदस्य
4-	श्रीमती उमा त्रिपाठी		सदस्या
5-	श्री विष्णु स्वरूप	विशेष सचिव, आवास (आवास सचिव के प्रतिनिधि)	सदस्य
6-	श्री आर० रमणी	महानिदेशक, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो	मुख्य आमंत्री
7-	श्री एस०सी०दीक्षित	संयुक्त सचिव (वित्त) (सचिव वित्त के प्रतिनिधि)	सदस्य
8-	श्री जे०पी०भार्गव	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक	सदस्य
9-	श्री जोगिन्दर सिंह	आवास आयुक्त	सदस्य
10-	श्री के०एम०लाल	संयुक्त आवास आयुक्त	सचिव

बैठक में विचार-विमर्श के पश्चात् निम्न मदों पर सर्वसम्मति से निर्णय लिये गये:-

क्रमांक	विषय	संकल्प संख्या	निर्णय
1	2	3	4
1-	दिनांक 23-6-88 को हुई बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।	तृतीय/(1)/88	दिनांक 23-6-88 को हुई बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।
2-	परिषद की बैठक दिनांक 23-6-88 की अनुपालन आख्या।	तृतीय/(2)/88	परिषद द्वारा दिनांक 23-6-88 को हुई बैठक में लिये गये निर्णयों के कार्यान्वियन से परिषद् को अवगत कराया गया। उक्त बैठक में श्री परमात्मा प्रसाद सिंह, सदस्य द्वारा भाग लिया गया था। कार्यवृत्त में उनका नाम सम्मिलित होने से रह गया है। उनका नाम सम्मिलित करने का निर्णय लिया गया।
3-	परिषद योजनाओं में द०आ० व० भवनों के भूमि मूल्य में छूट देने के सम्बन्ध में।	तृतीय/(3)/88	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त इसे स्थगित करने का निर्णय लिया गया।
4-	परिषद के विस्तृत कार्यक्षेत्र एवं बढ़े हुये कार्यकलापों विशेषकर निर्माण एवं विकास कार्यों पर प्रभावी नियंत्रण एवं सुनियोजित कार्यान्वियन हेतु परिषद में दो क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता (स्तर-2) के पदों के सृजन एवं वर्तमान मुख्य अभियन्ता (स्तर-2) के पद को मुख्य अभियन्ता (स्तर-1) में उच्चीकरण के सम्बन्ध में	तृतीय/(4)/88	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त करते हुये मामले को शासन को वित्तीय भार के साथ संदर्भित करने का निर्णय लिया गया।

1	2	3	4
5-	परिषद में वित्त एवं लेखा अनुभाग हेतु कतिपय पदों का सृजन।	तृतीय/(5)/88	परिषद द्वारा विचार-विमर्श के उपरान्त उक्त प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त करते हुए वित्तीय भार के साथ मामला शासन को संदर्भित करने का निर्णय लिया गया।
6-	परिषद के सहायक निदेशक (उद्यान) श्रेणी-2 के पद को परिवर्तित कर उप निदेशक (उद्यान) श्रेणी-1 में उच्चीकृत करने के सम्बन्ध में।	तृतीय/(6)/88	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त उक्त प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त करते हुए वित्तीय भार के साथ मामला शासन को संदर्भित करने का निर्णय लिया गया।
7-	परिषद की योजनाओं में शिक्षण संस्थाओं को भूमि प्रदेशन करने हेतु मुख्यालय स्तर पर गठित समिति के पुनर्गठन के सम्बन्ध में।	तृतीय/(7)/88	परिषद द्वारा सर्वसम्मति से औपचारिक स्वीकृति प्रदान की गयी।
8-	विनियम-12(2) के अन्तर्गत भूखण्ड से अन्य आय वर्ग में परिवर्तन की सुविधा दिये जाने के सम्बन्ध में।	तृतीय/(8)/88	परिषद की वर्ष-1980 की प्रथम बैठक दिनांक 25-2-80 में लिये गये निर्णय अनुसार इस मामले में अध्यक्ष एवं आवास आयुक्त द्वारा निर्णय ले लिया गया है जिसको परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
9-	उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद में उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद इंजीनियर्स एसोसिएशन को भूखण्ड आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में।	तृतीय/(9)/88	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद इंजीनियर्स एसोसिएशन को भूखण्ड आवंटित करने हेतु नियम एवं शर्तें क्या रहेंगी यह आवास आयुक्त तथा अध्यक्ष जी तय करेंगे।
10-	मुख्यालय प्रांगण में तीन मंजिले भवन का विस्तार।	तृतीय/(10)/88	परिषद ने प्रस्तुत प्रकरण का अवलोकन करने के उपरान्त इसका सर्वसम्मति से अनुमोदन किया तथा विचार विमर्श के उपरान्त यह भी निर्णय लिया गया कि मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक श्री जे0पी0 भार्गव तथा मुख्य अभियन्ता उक्त भवन में एक सभा कक्ष का प्राविधान करने के बारे में आवास आयुक्त से विचार विमर्श कर लें।
11-	परिषद में क्रीड़ाधिकारी पद के सृजन के सम्बन्ध में।	तृतीय/(11)/88	परिषद क्रीड़ाधिकारी के पद के सृजन करने के बारे में विचार विमर्श के उपरान्त सहमति व्यक्त की गई लेकिन यह निर्णय लिया गया कि 690-1420 के वेतनमान में किसी अच्छे क्रीड़ाधिकारी के मिलने की संभावना नहीं है। अतः शासन द्वारा सार्वजनिक उपक्रमों के लिए जो निर्देश भेजे गये हैं उसी के अनुसार 900-1770 के वेतनमान में एक क्रीड़ाधिकारी के पद के सृजन के बारे में शासन को संदर्भ भेजा जाए।
12-	आवासीय भवनों का कार्यालय प्रयोग हेतु भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में।	तृतीय/(12)/88	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि समिति द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है उसको श्री जे0पी0भार्गव, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक तथा मुख्य वास्तुविद नियोजक परिषद में हुए विचार विमर्श की दृष्टिगत रखते हुए संशोधित प्रस्ताव पुनः आवास आयुक्त तथा अध्यक्ष को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करें।

1	2	3	4
	13-परिषद कर्मचारियों को परिषद योजनाओं में निःशुल्क जल सुविधा 2-चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को निःशुल्क आवास एवं 3-दुर्बल आय वर्ग के परिषद कर्मचारी आवंटियों को भवन के मूल्य में लाभांश के स्थान पर छूट दिए जाने के सम्बन्ध में।	तृतीय/(13)/88	परिषद व्दारा प्रस्तुत प्रकरण पर विचार विमर्श किया गया। परिषद का विचार था कि इस प्रकार की मांग परिषद में कार्यरत अन्य कर्मचारियों से भी आ सकती है इसके अतिरिक्त इन मांगों के सम्बन्ध में उ०प्र०आवास एवं विकास परिषद व्दारा जो निर्णय लिया जायेगा उसका प्रभाव उ०प्र० के अन्य निगमों पर भी पड़ेगा। परिषद ने यह निर्णय लिया कि इस प्रकरण के अध्ययन हेतु एक समिति का गठन किया जाए जिसमें निम्न सदस्य होंगे:- 1- संयुक्त आवास आयुक्त एवं सचिव-अध्यक्ष 2- श्री वी०एन०उपाध्याय, मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी। सदस्य 3- श्री ए०के०दुग्गल, उप आवास आयुक्त। सदस्य यह समिति सभी पहलुओं को देखते हुए व शासनादेशों को देखकर अपनी आख्या परिषद के समक्ष प्रस्तुत करेगी।
	14-धनाभाव के कारण प्रतिकर की धनराशि उपलब्ध न करा पाने के कारण अभिनिर्णय/कब्जा हेतु परिपक्व योजनाओं के कालातीत होने के संबंध में।	तृतीय/(14)/88	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त इस मामले को लम्बित करने का निर्णय लिया गया।
	15-परिषद कार्यों हेतु कम्प्यूटर की स्थापना।	तृतीय/(15)/88	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी तथा यह निर्णय लिया गया कि जिन पदों का सृजन प्रस्तावित है उनमें शासन की स्वीकृति प्राप्त कर ली जाए।
	16-परिषद के अभियन्ताओं के सेवा विनियमों में संशोधन।	तृतीय/(16)/88	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी। यह भी अवगत कराया गया कि यू०पी० आवास एवं विकास परिषद अधिनियम-1965 की धारा-95 की उप धारा-95 की उपधारा(1) के अन्तर्गत परिषद को अपने अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए उनकी सेवा शर्तें सम्बन्धी विनियम बनाने का अधिकार है। अतः प्रस्तुत परिषद के अभियन्ताओं के सेवा विनियमों में संशोधन को शासन की स्वीकृति हेतु भेजने की आवश्यकता नहीं है। इसको सीधे गजट नोटीफिकेशन हेतु भेजा जा सकता है। परिषद ने इस पर अपनी सहमति व्यक्त की।
	17-आगरा में मानसिक चिकित्सालय के समीप सरोजनी नायडू मेडिकल कालेज के नये भवन के निर्माण हेतु सिकन्दरा योजना आगरा में 200 एकड़ भूमि की मांग।	तृतीय/(17)/88	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि आगरा में मानसिक चिकित्सालय के समीप सरोजनी नायडू मेडिकल कालेज के नये भवन के निर्माण हेतु सिकन्दरा योजना, आगरा में जो भूमि अविवादित एवं रिक्त है उसे फिलहाल मेडिकल कालेज को दे दी जाए बाकी भूमि विवाद समाप्त होने के बाद तथा उपलब्धता के आधार पर दी जायेगी। यह भी निर्णय लिया गया कि मेडिकल कालेज को भूमि उसी दर पर दी जायगी जिस दर पर अन्य संस्थाओं को दी जाती है। भूमि के पूर्ण मूल्य का भुगतान करने के बाद ही कब्जा हस्तान्तरित किया जायेगा तथा न्यायालय

1	2	3	4
			द्वारा भूमि दर बढ़ाने या अन्य किसी प्रकार से प्रश्नगत भूमि पर आर्थिक भार बढ़ने पर या उत्तरदायित्व उत्पन्न होने पर मेडिकल कालेज को उसे वहन करना होगा इसके अतिरिक्त न्यायालय में लम्बित वादों तथा भविष्य में दायर किये जाने वाले वादों की पैरवी का उत्तरदायित्व मेडिकल कालेज का होगा तथा उसका व्यय भी वहन करना होगा। परिषद द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि जहाँ पर आगरा में वर्तमान में मेडिकल कालेज स्थित है जब वहाँ भूमि रिक्त हो जायेगी तो वह भूमि उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद को दी जायेगी जिसका मूल्य अभी तय हो जायेगा।
18-	परिषद योजनाओं में भूखण्डों का आवंटन ले-आउट बनाने के बाद किया जाना।	तृतीय/(18)/88	परिषद द्वारा सर्वसम्मति से विचार विमर्श के उपरान्त स्वीकृति प्रदान की गयी परिषद द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि यह सर्कुलर कर दिया जाए कि पानी की व्यवस्था सुनिश्चित होने के पश्चात् कब्जा दिया जायेगा।
19-	मेरठ योजना सं0-10 की छूटी हुई भूमि के सम्बन्ध में।	तृतीय/(19)/88	परिषद की वर्ष-1980 की प्रथम बैठक दिनांक 25-2-80 में लिये गये निर्णय अनुसार इस मामले में अध्यक्ष एवं आवास आयुक्त द्वारा निर्णय ले लिया गया है। जिसको परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
20-	सम्पत्ति के प्रदेशन में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के निर्धारित प्रतिशत के सीमितीयन के सम्बन्ध में।	तृतीय/(20)/88	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गई।
21-	परिषद के कार्यों में कम्प्यूटर का प्रयोग।	तृतीय/(21)/88	परिषद के कार्यों में कम्प्यूटर के प्रयोग के बारे में परिषद को अवगत कराया गया। परिषद ने प्रस्तुत प्रकरण का अवलोकन भी किया।
22-	परिषद के अधिकारियों/कर्मचारियों को वर्ष-1987-88 के लिए अनुग्रह धनराशि के भुगतान के सम्बन्ध में।	तृतीय/(22)/88	परिषद की वर्ष-1980 की प्रथम बैठक दिनांक 25-2-80 में लिये गये निर्णय अनुसार इस मामले में अध्यक्ष एवं आवास आयुक्त द्वारा निर्णय ले लिया गया है। जिसको परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
23-	श्री परमात्मा प्रसाद सिंह, परिषद सदस्य को योजनाओं के नामांकन समिति के सक्षम सदस्य मनोनीत करने के संबंध में।	तृतीय/(23)/88	परिषद की वर्ष-1980 की प्रथम बैठक दिनांक 25-2-80 में लिये गये निर्णय अनुसार इस मामले में अध्यक्ष एवं आवास आयुक्त द्वारा निर्णय ले लिया गया है। जिसको परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
24-	स्वयं वित्तपोषित योजना के भवनों के मूल्यों में 20 प्रतिशत से 30 प्रतिशत के बीच वृद्धि होने पर कब्जा दिये जाने के सम्बन्ध में।	तृतीय/(24)/88	परिषद की वर्ष-1980 की प्रथम बैठक दिनांक 25-2-80 में लिये गये निर्णय अनुसार इस मामले में अध्यक्ष एवं आवास आयुक्त द्वारा निर्णय ले लिया गया है। जिसको परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

1	2	3	4
25-	विनियम-25 एवं 39 में लीज रेंट लिये जाने के संदर्भ में।	तृतीय/(25)/88	परिषद की वर्ष-1980 की प्रथम बैठक दिनांक 25-2-80 में लिये गये निर्णय अनुसार इस मामले में अध्यक्ष एवं आवास आयुक्त द्वारा निर्णय ले लिया गया है। जिसको परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
26-	विकास नगर लखनऊ के सैक्टर-3 में स्थित पार्क में 13 दुकानों एवं 2 कियोस्कों के निर्माण हेतु रु0 1.94 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में।	तृतीय/(26)/88	परिषद की वर्ष-1980 की प्रथम बैठक दिनांक 25-2-80 में लिये गये निर्णय अनुसार इस मामले में अध्यक्ष एवं आवास आयुक्त द्वारा निर्णय ले लिया गया है। जिसको परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
27-	आवास आयुक्त द्वारा पारित दण्ड के विरुद्ध अपील की सुनवाई हेतु उप समिति के गठन के सम्बन्ध में।	तृतीय/(27)/88	परिषद की वर्ष-1980 की प्रथम बैठक दिनांक 25-2-80 में लिये गये निर्णय अनुसार इस मामले में अध्यक्ष एवं आवास आयुक्त द्वारा निर्णय ले लिया गया है जिसको परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
28-	इन्दिरानगर योजना लखनऊ के सैक्टर-4 में प्रस्तावित इन्दिरानगर प्लेस के निर्माण हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।	तृतीय/(28)/88	परिषद की वर्ष-1980 की प्रथम बैठक दिनांक 25-2-80 में लिये गये निर्णय अनुसार इस मामले में अध्यक्ष एवं आवास आयुक्त द्वारा निर्णय ले लिया गया है। जिसको परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
29-	उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद अभियन्ताओं के सेवा (अधीक्षण अभियन्ताओं की नियुक्ति एवं सेवा शर्तें) विनियम-1977	तृतीय/(29)/88	परिषद की वर्ष-1980 की प्रथम बैठक दिनांक 25-2-80 में लिये गये निर्णय अनुसार इस मामले में अध्यक्ष एवं आवास आयुक्त द्वारा निर्णय ले लिया गया है। जिसको परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
30-	विधवाओं को सुविधा दिये जाने हेतु।	तृतीय/(30)/88	परिषद की वर्ष-1980 की प्रथम बैठक दिनांक 25-2-80 में लिये गये निर्णय अनुसार इस मामले में अध्यक्ष एवं आवास आयुक्त द्वारा निर्णय ले लिया गया है। जिसको परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
31-	परिषद में दोहरी लेखा प्रणाली लागू किया जाना।	तृतीय/(31)/88	परिषद की वर्ष-1980 की प्रथम बैठक दिनांक 25-2-80 में लिये गये निर्णय अनुसार इस मामले में अध्यक्ष एवं आवास आयुक्त द्वारा निर्णय ले लिया गया है जिसको परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
32-	पन्द्रहवीं हडको एस0 आई0जी0प्रोजेक्ट सैक्टर-7 सिकन्दरा आगरा (स्कीम नं0-1 5874)	तृतीय/(32)/88	परिषद की वर्ष-1980 की प्रथम बैठक दिनांक 25-2-80 में लिये गये निर्णय अनुसार इस मामले में अध्यक्ष एवं आवास आयुक्त द्वारा निर्णय ले लिया गया है जिसको परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
33-	पंजीकरण दिनांक 30-5-88 तक बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।	तृतीय/(33)/88	परिषद की वर्ष-1980 की प्रथम बैठक दिनांक 25-2-88 में लिये गये निर्णय अनुसार इस मामले में अध्यक्ष एवं आवास आयुक्त द्वारा निर्णय ले लिया गया है जिसको परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
34-	पंजीकरण अन्तर की धनराशि जमा करने हेतु तिथि बढ़ाया जाना।	तृतीय/(34)/88	परिषद की वर्ष-1980 की प्रथम बैठक दिनांक 25-2-80 में लिये गये निर्णय अनुसार इस मामले में अध्यक्ष

1	2	3	4
			एवं आवास आयुक्त द्वारा निर्णय ले लिया गया है जिसको परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
35-	परिषद की मेहदोरी योजना इलाहाबाद के खसरा प्लाट सं०-122, 124, 125 के भाग को समझौते के आधार पर अर्जन मुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।	तृतीय/(35)/88	परिषद की वर्ष-1988 की प्रथम बैठक दिनांक 25-2-88 में लिये गये निर्णय अनुसार इस मामले में अध्यक्ष एवं आवास आयुक्त द्वारा निर्णय ले लिया गया है। जिसको परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
36-	आवास परिषद की जनपद कानपुर में प्रस्तावित कानपुर योजना सं०-1 तथा योजना सं०-3 में विवादित समितियों की भूमि के सम्बन्ध में।	तृतीय/(36)/88	परिषद की वर्ष-1988 की प्रथम बैठक दिनांक 25-2-88 में लिये निर्णय अनुसार इस मामले में अध्यक्ष एवं आवास आयुक्त द्वारा निर्णय ले लिया गया है जिसको परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
37-	उ०प्र०आवास एवं विकास परिषद की योजनाओं में शिक्षण संस्थाओं को भूमि दिये जाने हेतु बनायी गयी गाइड लाइन में आंशिक संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में।	तृतीय/(37)/88	विस्तार पूर्वक विचार-विमर्श करने के उपरान्त परिषद ने आवास आयुक्त तथा अध्यक्ष द्वारा लिये गये निर्णय का अनुमोदन किया।
38-	परिषद द्वारा स्वीकृत किये जाने वाले ऋण में आरक्षित वर्ग के व्यक्तियों हेतु धनराशि आरक्षित किए जाने के संदर्भ में।	तृतीय/(38)/88	परिषद की वर्ष-1988 की प्रथम बैठक दिनांक 25-2-88 में लिये गये निर्णय अनुसार इस मामले में अध्यक्ष एवं आवास आयुक्त द्वारा निर्णय ले लिया गया है जिसको परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
39-	अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कोई अन्य विषय।		
	39-1 परिषद के वर्ष-1988-89 के संशोधित आय-व्ययक को पारित किया जाना।	तृतीय/(39)/88	आवास आयुक्त द्वारा परिषद को अवगत कराया गया कि शासन ने 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत उ०प्र०आवास एवं विकास परिषद के लिए 12,000 मकानों का लक्ष्य निर्धारित कर दिया है। उन्होंने बताया कि परिषद की वर्तमान वित्तीय स्थिति तथा कठिनाइयों को देखते हुए इस लक्ष्य को पूरा किया जाना कदापि संभव नहीं होगा। पूर्व में हडको बैंक, यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया, ऋण पत्र एवं शासन से काफी बड़ी मात्रा में धनराशि प्राप्त होने की उम्मीद थी लेकिन पदोपरान्त इस हेतु जब सम्बन्धित ऋण देने वाली संस्थाओं से वार्तालाप हुआ तो यह निष्कर्ष निकला कि इन संस्थाओं से जितनी धनराशि प्राप्त होने का अनुमान था वह अब नहीं मिल पायेगी। चूंकि परिषद के पास बड़े शहरों में अधिक भूमि उपलब्ध नहीं है अतः बैंकों को अधिक ऋण देने के लिए योजनायें भेजना संभव नहीं हो पायेगा इसके अतिरिक्त विशेषकर बड़े शहरों में भूमि की कमी के कारण हडको को योजनायें भेजने में भी काफी कठिनाई आयेगी। भूमि अर्जन के लिए परिषद को काफी बड़ी धनराशि की आवश्यकता है क्योंकि पुरानी देय धनराशि को भी अदा किया जाना है तथा कुछ धनराशि

1	2	3	4

धनराशि से और भूमि अर्जन की जानी है। परिषद के पास उन शहरों में आवश्यकतानुसार भूमि उपलब्ध नहीं है जहाँ पर भवनों/भूखण्डों की अच्छी माँग है और यदि परिषद इस वर्ष काफी भूमि अर्जन नहीं करती तो परिषद को अगले वर्ष कार्य करने में कठिनाई होगी तथा निर्माण कार्यों में बढ़ोत्तरी के बजाए कमी आ जायेगी इसके अतिरिक्त परिषद को पुराने अधूरे निर्माण कार्यों को पूरा करने के लिए करीब 14 करोड़ रूपये की तुरन्त आवश्यकता है। यदि ऐसा न हो किया जाता है तो परिषद को अधूरे निर्माण कार्यों को पूरा करने और उन्हें आवंटित करने में बहुत कठिनाई होगी। क्योंकि यदि पुराने अधूरे भवनों का निर्माण पूरा नहीं किया जायेगा तो परिषद अपने स्रोतों से धन स्वयं करने में सफल नहीं हो पायेगा। आवास आयुक्त द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि यदि उच्च आय वर्ग, मध्यम आय वर्ग तथा स्वंय वित्त पोषित भवनों का निर्माण नहीं किया जाता है तो 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत बनाये जाने वाले भवनों के निर्माण में होने वाले नुकसान की पूरा करना संभव नहीं होगा इसके अतिरिक्त परिषद द्वारा जो स्वंय वित्त पोषित योजना के अन्तर्गत योजनायें घोषित होने के उपरान्त पंजीकरण का कार्य किया गया है उनमें भी कार्य किया जाना आवश्यक है क्योंकि इसमें विलम्ब होने के कारण पंजीकृत व्यक्तियों में बहुत असंतोष फैल रहा है। आवास आयुक्त द्वारा परिषद को यह भी अवगत कराया गया कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा वर्ष 1987-88 में 30 करोड़ से अधिक का भूमि विकास तथा भवन निर्माण किया गया है इसी प्रकार लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा भी 30-35 करोड़ के लगभग भूमि विकास तथा भवन निर्माण कार्य किया गया है। परिषद द्वारा भी वर्ष 87-88 में लगभग 48 करोड़ रूपये का भूमि विकास तथा भवन निर्माण कार्य किया गया है। उनका विचार था कि शासन को उ०प्र०आवास एवं विकास परिषद तथा विकास प्राधिकरणों के टर्न ओवर को देखते हुए 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए तथा इन परिस्थितियों में परिषद 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत 6,000 से अधिक भवन तथा साइट एण्ड सर्विसेज किसी भी हालत में निर्मित नहीं कर पायेगा।

मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक उ०प्र०आवास आयुक्त के मत से सहमत थे। उनका विचार था कि यदि परिषद द्वारा 5000 से अधिक भवन बनाये जाते है तो उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो जायेगी। उनका विचार था कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण तथा लखनऊ विकास प्राधिकरण 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत अधिक भवन बनाने की क्षमता रखते हैं तथा इस हेतु शासन को पत्र लिखा जाए।

अध्यक्ष जी द्वारा भी यह कहा गया कि उ०प्र०आवास एवं विकास परिषद को 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत अपना कर्तव्य निभाना है लेकिन परिषद में काफी बड़ी मात्रा में मध्यम आय वर्ग तथा उच्च आय वर्ग के व्यक्तियों ने पंजीकरण करवा रखा है तथा वे कई वर्षों से भवन पाने के इन्तजार में हैं। उनको भी शीघ्र ही भवन निर्मित कर आवंटित किया जाना है। उनका यह मत था कि परिषद द्वारा 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत हर वर्ष जो भवन बनाये जाते हैं उनमें काफी बड़ी मात्रा में परिषद की धनराशि अवरूद्ध हो जाती है जिससे परिषद मध्यम आय वर्ग तथा उच्च आय वर्ग के अन्तर्गत पंजीकृत व्यक्तियों के हितों की तरफ उचित भी ध्यान नहीं दे पा रहा है। उनका विचार था कि यदि शासन द्वारा 5,000 से अधिक का लक्ष्य रखा जाता है तो शासन को उसी

1	2	3	4
			अनुरूप में परिषद को धनराशि देनी होगी तभी 5,000 से ऊपर कुछ भवन परिषद बना पायेगा। उन्होंने कहा कि आवास आयुक्त शासन को इस संदर्भ में तत्काल पत्र लिखें कि उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत 5,6 हजार से अधिक भवन कदापि नहीं बना पायेगा। उन्होंने यह भी कहा कि शासन को यह भी लिखा जाए कि इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए शासन एक रिवाल्विंग फण्ड बनाये जिससे तुरन्त परिषद को समुचित धनराशि उपलब्ध करायी जाए ताकि 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत दिये गये लक्ष्य की पूर्ति की जा सके। विचार-विमर्श के उपरान्त परिषद ने निर्णय लिया कि शासन को अविलम्ब पत्र लिखा जाए कि उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत 6,000 से अधिक भवन तथा साइट एण्ड सर्विसेज निर्मित नहीं कर पायेगा। यह भी निर्णय लिया गया कि शासन से यह अनुरोध किया जाए कि क्योंकि 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्मित किये जा रहे भवनों पर व्यय अधिक होता है व परिषद को इसमें नुकसान हो रहा है अतः शासन रु0 4,000/- प्रति भवन सब्सिडी के रूप में परिषद को उपलब्ध करायें। यह भी कहा गया कि 20 सूत्री कार्यक्रम के शासन द्वारा अन्तिम रूप से लक्ष्य/आंकड़े निर्धारित होने के उपरान्त व परिषद द्वारा इन लक्ष्यों की पूर्ति तथा अन्य भवनों के निर्माण हेतु हडको, बैंक, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इण्डिया, ऋण पत्र व शासन से प्राप्त होने वाली आय को देखते हुए परिषद की अगली बैठक में संशोधित आय व्ययक का प्रस्ताव रखा जाए।
	मेरठ योजना सं0-1 में स्व0श्री सी0बी0गुप्ता की प्रतिमा स्थापित करने के लिए चन्द्रभान गुप्त स्मारक गोली महल, लखनऊ को अनुमति प्रदान करने के सम्बन्ध में।	तृतीय/(40)/88	परिषद द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्तुत प्रकरण का अनुमोदन किया गया।
	अन्य विषय-		
	(1) पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में।		अध्यक्ष म0 द्वारा बताया गया कि आवास एवं विकास परिषद को स्थापित हुए लगभग 22 वर्ष हो गये हैं परन्तु परिषद द्वारा कोई भी पंचवर्षीय कार्य योजना अभी तक तैयार नहीं की गई है। यह अति आवश्यक है कि भविष्य में पंचवर्षीय योजना तैयार करने की कार्यवाही की जाए। आवास आयुक्त द्वारा अवगत कराया गया कि इस दिशा में पहले ही कार्य किया जा रहा है। उन्होंने मुख्य वास्तुविद नियोजक, श्री एस0के0 पचौरी तथा अधिशासी अभियन्ता, श्री एन0सी0 प्रधान को पंचवर्षीय कार्य योजना तैयार करने हेतु पूर्व में ही निर्देश दे रखे हैं तथा इस सम्बन्ध में प्रारम्भिक कार्य शुरू भी हो गया है।
	(2) वास्तविक रजिस्ट्रेशन नम्बर के सम्बन्ध में।		परिषद द्वारा जिन पंजीकृत व्यक्तियों को भवन/भूखण्ड नहीं मिल पाये हैं उनकी संख्या बहुत अधिक है। इनमें ऐसे पंजीकृत व्यक्ति भी सम्मिलित हैं जिन्होंने केवल प्रारम्भ में 50/- रुपये पंजीकरण धनराशि जमा कराकर पंजीकरण कराया है तथा बाद में कई बार सूचना देने के उपरान्त भी अन्य कोई धनराशि जमा नहीं करायी थी अतः अध्यक्ष म0 द्वारा यह

बताया गया कि यह उचित होगा कि दिसम्बर 30 सितम्बर-88 तक वास्तविक रजिस्ट्रेशन नम्बर प्राप्त कर लिया जाए।

जिन व्यक्तियों के रु० 50/- जमा हैं उनसे पंजीकरण अन्तर धनराशि जमा करा ली जाए इसके बावजूद भी जो व्यक्ति अन्तर की धनराशि जमा नहीं करते हैं उनको मूल धनराशि रु० 50/- नियमानुसार वापस कर दी जाए इससे वर्तमान पंजीकरण संख्या काफी गिर जायेगी जिससे कि इच्छुक पंजीकृत व्यक्तियों को भवन आवंटन हेतु उपलब्ध हो जायेगी।

गुण नियंत्रण के सम्बन्ध में।

अध्यक्ष जी द्वारा अवगत कराया गया कि उन्होंने पूर्व में परिषद में गुण नियंत्रण प्रणाली के बारे में एक विस्तृत नोट भेजा था जिसमें यह लिखा गया था कि गुण नियंत्रण की ओर सुधार तथा गुण नियंत्रण के कार्य को और प्रभावी बनाने हेतु एक्जीक्यूटिव आफीसर की परिषद में नियुक्ति की जाए क्योंकि वह अधिकारी वह अधिकारी परिषद द्वारा निर्मित किये जा रहे भवनों की गुणवत्ता के बारे में स्वतंत्र रूप से विचार व्यक्त कर सकेगा।

अपर आयुक्त द्वारा अवगत कराया गया कि गुण नियंत्रण के कार्य को अध्ययन करने हेतु एक समिति का गठन पूर्व में ही किया जा चुका है। उक्त समिति ने मा० अध्यक्ष जी की उक्त टिप्पणी का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर लिया है तथा इस समिति द्वारा परिषद को शीघ्र ही अपनी आख्या/संस्तुति प्रेषित की जायेगी।

पुष्टि की गयी
[signature]
3/8/95